सर्वोच्च प्राथमिकता/ विशेष वाहक / फैक्स के माध्यम से

पत्र सं0-स्था-5(ख)/तदर्थ नियुक्ति/मौलिक नियुक्ति-सत्यापन-2018-19 // 4466 //वाणिज्य कर

कार्यालय-कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 22 दिसम्बर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

अवगत कराना है कि वाणिज्य कर विभाग में वर्ष 1976 से वर्ष 1993 के मध्य तदर्थ रुप से नियुक्त कतिपय 29 लिपिक वर्गीय कार्मिकों को मुख्यालय स्तर पर गठित विभागीय समिति की संस्तुति के अनुसार वर्ष 2010 में उन्हें उनकी विभाग में प्रथम नियुक्ति की तिथि/तदर्थ नियुक्ति की तिथि से विनियमित किया गया था। शासन के समक्ष यह संज्ञान में लाया गया है कि उक्त 29 कार्मिकों के अतिरिक्त विभाग में जोनल स्तर के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी पूर्वगामी तिथि से विनियमितीकरण के आदेश निर्गत किये गये होंगे।

चूंकि वर्ष 2010 में उक्त 29 लिपिक वर्गीय कार्मिकों को उनकी विभाग में प्रथम नियुक्ति की तिथि / तदर्थ नियुक्ति की तिथि से विनियमित किया जा चुका था, इस आधार पर उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता (चतुर्थ संशोधन) नियमावली-2012 में दिये गये प्राविधानानुसार उपरोक्त 29 कार्मिको की मौलिक नियुक्ति की तिथि (विभाग में प्रथम नियुक्ति की तिथि) के अनुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या-3151 दिनांक 08-08-2012 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-3473 दिनांक 09-11-2015 के माध्यम से निर्गत की गयी लिपिक वर्गीय कर्मचारियों की ज्येष्ठता सूचियों में उनकी ज्येष्ठता अवस्थित की गयी हैं। इन 29 कार्मिकों में से 02 कार्मिकों को वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्रदान की जा चुकी है तथा 16 कार्मिक सेवानिवृत्त / दिवंगत हो चुके है।

उपरोक्त सम्बन्ध में शासन ने अपने पत्र सं0-2048/11-3-2018 दिनांक04-11-2018 द्वारा निर्देश दिये है कि विनियमितीकरण हेतु उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण नियमावली-1979, द्वितीय संशोधन नियमावली 1989 तथा तृतीय संशोधन नियमावली 2001 निर्गत की गयी है जिसमें नियमावली के प्रारम्भ होने की तिथि से 03 वर्ष की तदर्थ सेवा निरन्तर पूर्ण होने की स्थिति में विनियमितीकरण का प्राविधान किया गया है। उक्त नियमावलियों में पूर्वगामी तिथि से अथवा मृत्यु के पश्चात विनियमितीकरण किये जाने का कोई प्राविधान नही है। ऐसी स्थिति में शासन द्वारा सभी कर्मचारियों के सम्बन्ध में नियमावली के प्राविधानों के विपरीत किये गये विनियमितीकरण के सम्बन्ध में पूर्वगामी तिथि से दिये गये विनियमितीकरण के आदेश को निरस्त किये जाने एवं तदोपरान्त सभी के सम्बन्ध में सेवा लाभ सम्बन्धी यथेष्ठ कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये है।

उपरोक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 09-11-2015 के माध्यम से जारी की गयी लिपिक वर्गीय कार्मिकों की ज्येष्ठता सूची आपके कार्यालय को पूर्व में प्राप्त करायी जा चुकी है तथा इसकी प्रति विभागीय वेबसाइट (Comtax.up.nic.in/main.htm) पर अपलोड हैं, जिसका अवलोकन वेबसाइट के मुखपृष्ठ में प्रदर्शित Notification/ Circulars/Orders/Miscellaneous Act के अन्तर्गत Non-Gazetted Establishment अथवा नोटिस बोर्ड से किया जा सकता है।

अतः शासन के उपरोक्त पत्र दिनांक 04-11-2018 से प्राप्त निर्देशानुसार आपसे निम्न बिन्दुओं के अनुसार कार्यवाही तत्काल पूर्ण कराये जाने की अपेक्षा की जाती है :-

1- उक्त ज्येष्ठता सूची का अवलोकन करते हुये आपके जोन के अन्तर्गत कार्यरत / सेवानिवृत्त /

क्रमशः पेज सं0-02 पर

वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नत समस्त कर्मचारियों की नियुक्ति की तिथि का सत्यापन कृपया उसके सेवा अभिलेखों (सेवा पुस्तिका / व्यक्तिगत पत्रावली) से सक्षम अधिकारी के माध्यम से कराकर इस आशय का प्रमाण पत्र प्रत्येक दशा में दिनांक 27-12-2018 की सायं 06 बजे तक विशेष वाहक / फैक्स के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें कि ज्येष्ठता सूची में अंकित कार्मिक की मौलिक नियुक्ति की तिथि उसके सेवा अभिलेखो में प्रविष्ट मौलिक नियुक्ति की तिथि से भिन्न नहीं है।

2- उपरोक्त के अतिरिक्त यदि किसी कार्मिक के सेवा अभिलेखों में ज्येष्ठता सूची में अंकित की गयी मौलिक नियुक्ति की तिथि से भिन्न नियुक्ति की तिथि प्रमाणित हो रही है अथवा किसी कार्मिक को पूर्व में की गयी तदर्थ/स्थानापन्न नियुक्ति को विनियमित किया गया है तो सम्बन्धित आदेशों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ भी विशेष वाहक / फैक्स के माध्यम से दिनांक 27-12-2018 की सायं 06 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक ज्येष्ठता नियमावली-1991 में अंकित प्राविधानान्तर्गत मौलिक नियुक्ति का तात्पर्य लिपिकीय संवर्ग में कनिष्ठ लिपिक के पद पर ऐसी नियुक्ति से है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो।

3- इस कार्यालय के पत्रांक-4423 दिनांक 19-12-2018 द्वारा वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति हेतु लोक सेवा आयोग को प्रेषित की गयी कार्मिकों की सूची भी आपको प्रेषित करते हुए सूची में अंकित कार्मिकों की मौलिक नियुक्ति की तिथि का सत्यापन कराकर प्रमाण पत्र दिनांक 19-12-2018 की सांय 06.00 बजे तक मुख्यालय को भिजवाये जाने की अपेक्षा की गयी है। वांछित प्रमाण पत्र अभी तक अप्राप्त है, जिसे पृथक रुप से तत्काल भिजवाये जाने का कष्ट करें।

उपरोक्तानुसार सत्यापन की अपेक्षित कार्यवाही ऐसे कार्मिकों के सम्बन्ध में भी करायी जानी है जो वाणिज्य कर अधिकारी के पद पर पदोन्नति प्राप्त कर चुके हैं।

कृपया उपरोक्त कार्यवाही निर्धारित समयावधि में सर्वोच्च प्राथमिकता/व्यक्तिगत रुचि लेकर पूर्ण कराये जाने का कष्ट करें ताकि शासन के पत्र दिनांक 04-11-2018 में दिये गये निर्देशानुसार ज्येष्ठता निर्धारण / सेवा लाभ सम्बन्धी अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करायी जा सके।

22.12.18

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर (प्रशासन) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

<u>पृ0प0सं0 व दिनांक :-उक्त।</u>

प्रतिलिपि:-

1- ज्वाइन्ट कमिश्नर(आई0टी0)वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराये जाने का कष्ट करें।

2- ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर, मुख्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

3- समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

क्रमशः पेज सं0-03 पर

4- समस्त डिप्टी कमिश्नर(प्रशा0)/असिस्टेंट कमिश्नर(ए)वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि उनके अधिष्ठान में कार्यरत / सेवानिवृत्त / वाणिज्यकर अधिकारी के पद पर पदोन्नत समस्त कर्मचारियों की उक्त ज्येष्ठता सूची में अंकित मौलिक नियुक्ति की तिथि के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण करते हुए अपने जोनल एडीशनल कमिश्नर को तत्काल सूचना / प्रमाण पत्र भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

5- पटल प्रभारी स्था0-5 (क) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही तत्काल पूर्ण कराकर स्था0-5(ख) पटल को प्रमाण पत्र / सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

/-

(हरी राम)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्था0अराज0) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।